

मुकाम : रावतभाटा

बनाम शुभिका देवी तथा राजेश कुमार रावत

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली

किरम मुकदमा

६६, १२, १८८

नं०

७२/२०२२

सन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
जा

तारीख
हुकम

रजत कानी दिनांक २७/५/२०२५ को पेश है।

27.05
25

~~पत्रावली~~ ३५ नम्बर सद्यः पत्रावली
दिनांक २५/०६/२५ को पेश करने से
पत्रावली पूर्वापार दिनांक
०५/०६/२५ को पेश करने से।

B.O. Shy

(Signature)

S.D.O

05.06
2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष कारण उपस्थित।
वकील गदी द्वारा साक्ष्य हेतु अवसर चाहा।
वकील गदी को न्याय छि में साक्ष्य हेतु अंतिम
अवसर प्रदान किया जाकर अदेशित किया
जाता है कि आगामी पेशी दिनांक पर साक्ष्य
आवश्यक रूप से पेश किये जावे अन्यथा
साक्ष्य वेद समझे जावे। पत्रावली तारीख साक्ष्य
गदी दिनांक २५/०६/२०२५ को पेश हो।

S.D.O

04.06
2025

पत्रावली पेश हुई। गदी तथा वकील गदी न्यायालय
में अनुपस्थित। गदी तथा वकील गदी को न्यायालय
समय में न्यायालय द्वारा तीन बार अलग-अलग
समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद गदी तथा
वकील गदी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण
में पेशी हेतु गदी की ओर से उपस्थित नहीं होने
से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम
पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कमा की जाकर
शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (पित्रो इलाका)